

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

- 1- मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 2- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंशिक) उत्तराखण्ड।



पत्रांक:-सू0प्र0/ 385-90 /दिशा निर्देश/2025-26 दिनांक 12 सितम्बर, 2025

विषय:- जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में डिवेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या 325816 दिनांक 27.08.2025 के साथ संलग्न मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 9982/उ0सू0अ0/2025-26 दिनांक 05.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में डिवेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में सीमित वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी रूप से समझ की वृद्धि करने के लिए राज्य में प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर के मध्य RTI Week का आयोजन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिये गये यथा निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/ सू0प्र0/ 385-90 /दिशा निर्देश/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सूचना आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को सूचनार्थ।
- 2- अनुसचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
- 3- समस्त उप शिक्षा अधिकारी, द्वारा- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

(अजय कुमार नौडियाल)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या-331807 /XXIV-2-2025-25(03)2020 (ई-65470)

प्रेषक,

ऋचा,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर, 2025

विषय:-जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की समझ में वृद्धि हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता आदि के आयोजन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या-9982/उ0सू0आ0/2025-26 दिनांक 05.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं, जिस हेतु देश में प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर को RTI Week का आयोजन किया जाता है।

02- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की समझ में वृद्धि हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता आदि के आयोजन के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को आयोग की ओर से सम्मानित किये जाने हेतु आयोजित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की सूचना, सूचना आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

03- तत्क्रम में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-05.08.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में सूचना संबंधित प्राधिकरण को यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by भवदीया,

Richa

Date: 18-09-2025

15:30:07

(ऋचा)

उप सचिव।

संख्या- /XXIV-2-2025-25(03)2020(ई-65470)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-324606/XXIV-C-4/2025-19(UH)/2025 E-68242
29/01/25

प्रेषक,

ब्योमकेश दूबे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-कुलसचिव,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।
- 2-प्रभारी निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 27-अगस्त, 2025

विषय- जन-सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पत्रांक 9982/उ0सू0आ0/2025-26, दिनांक 05.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर को आर0टी0आई0 वीक का आयोजन किया जाता है। इस हेतु नागरिकों के मध्य सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में सीमित वित्तीय संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी रूप से समझ की वृद्धि करने हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के मध्य जागरूकता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर मध्य आर0टी0आई0 वीक के रूप में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गयी है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को आयोग की ओर से सम्मानित किया जा सके, इस हेतु आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की सूचना यथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की संख्या, कार्यक्रम की तिथि, आयोजन स्थल, आयोजक का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, कार्यक्रम के फोटोग्राफ इत्यादि उत्तराखण्ड सूचना आयोग

को ई-मेल secy-uic@gov.in के माध्यम से
अपेक्षा की गयी है।
अतः इस सम्बन्ध में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
के पत्र दिनांक 05.08.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह
कहने का निदेश हुआ है कि पत्र की गयी अपेक्षानुसार समस्त
विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में दिनांक 05 से 12 अक्टूबर मध्य आर0टी0आई0
वीक आयोजित करते हुए कार्यक्रम की सूचना उत्तराखण्ड सूचना आयोग की
ई-मेल secy-uic@gov.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

(व्योमकेश दूबे)
उप सचिव